

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जीत सिंह बनाम रातस्थान मज्दूर

अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट नम्बर 176 मंग 20/24

जी सी एम एस नम्बर 2024 / 291

हुस या कार्यवाही मय इनिशियल्स जत

सामिल हुस

नम्बर न नम्बर प्रकृत न न हुस ही एक्ट म नम्बर हु

09 2024

वादी जीत सिंह पुत्र साधु सिंह जाति रामदासिया निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू श्री मनीष जागिंड ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादगत भूमि के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर को रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जावे। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब कियो जाकर पत्रावली दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।

20/24

धकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब. मज्दूर पर पत्रावली दिनांक 10/10/24 को पेश हो। Kamru

10/24

वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट न DR KDR प्राप्त हुई। सामिल मिलल रहे। बहस खूनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वादपत्र गली-भांति आवित होने पर स्वीकार किया जाता है। पण डिक्ली इस आशय का जारी हो। पण डिक्ली की एक प्रति न DR KDR को पालनाथ प्रेषित हो। पत्रावली निर्गति होकर नम्बर से कम होकर वापसल रजिस्टर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर